फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– दूल्हासिंह **विपक्षी :– श्री परथा**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 115/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 04.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण नियत पेशी पर न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सकने के कारण प्रकरण सं. 189/21 वाद दुल्हासिंह बनाम परथा दिनांक 13.04.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया, जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 189/21 अनवान दुल्हासिंह बनाम परथा दिनांक 13.04.2023 को अधिवक्ता मय वादी अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 13.04.2023 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का 5,00/– अक्षरे पांच सौ रूपये की कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 189/21 अनवान दुल्हासिंह बनाम परथा में आदेश दिनांक 13.04.2023 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा रसीद पेश करने पर मूल वाद में प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली